न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान हुकमचन्द बनाम गिरीराज

किस्म मुकदमा 223 अपील संख्या 2017/00116

अभिभाषक अपीलान्ट श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री नरेन्द्र गुप्ता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.6.25	हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् ग्राम रातडिया तहसील अंता के माल के सेटलमेंट खसरा नं. 751 रकबा 2.01 हैक्टर बाद कैचमेंट खसरा नं. 1407 रकबा 1.90 हेक्टर के संदर्भ में प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 2 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम राजूबाई उर्फ रज्जोबाई के खाते दर्ज होने से वादी द्वारा उसे ही पक्षकार बनाते हुए वाद दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.07.2017 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया। प्रतिवादी रज्जो बाई उर्फ राजू बाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील संख्या 489/2007 से अपील दायर करने पर न्यायालय हाजा में अपने निर्णय दिनांक 22.01.2008 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अपीलांट की साक्ष्य हेतु रिमाण्ड किया गया। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी द्वारा एक अपील टी.ए. संख्या 1811/2008 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पेश की गयी। पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण दिनांक 22.09.2016 को वादी अपीलांट गिरिराज द्वारा अपील को विड्रो किया गया तत्पश्चात पत्रावली इस न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22.01.2008 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा होने पर अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.10.2016 को लिखित राजीनामा पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक करते हुए राजीनामे के आधार पर वादी का वाद अपने निर्णय दिनांक 20.10.2016 से डिक्री कर निर्णित किया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि वादी	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी राजस्थान ★ कोटा ★

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान ..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... अकील संख्या .....

अभिभाषक अपीलान्ट ..... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	गिरिराज आत्मज प्रभुलाल ने अपने पिता के हिस्से में आई हुयी भूमि को दुरूस्ती रिकार्ड व घोषणा करवाकर वाद डिक्री करवाया, उसमें आपत्ति नहीं है किन्तु प्रभुलाल जी के अन्य वारिसों को पक्षकार नही बनाकर वाद को डिक्री करवा लेने से शेष वारिसान पुश्तैनी ग्राम अंता की भूमि 11 किता रकबा 11.48 हैक्टर, भूमि में 1/3 हिस्से की मांग कर वाद दायर करने से प्रार्थी अपीलांट व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है, जिसकी इजाजत दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी अपीलांट ने स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि वादी गिरिराज द्वारा दावा डिक्री करवाया उसमें आपत्ति नहीं है परंतु ग्राम अंता की अन्य पुश्तैनी आराजी में 1/3 हिस्सा मांगने के कारण अपीलांट व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। ग्राम अंता की पुश्तैनी आराीज कुल किता 11 रकबा 11.48 हैक्टर आराजी के संदर्भ में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2007 एवं इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट हुकमचन्द द्वारा इस न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 299/2008 में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2009 से यदि अपीलांट हुकमचन्द व्यथित है, तो इस निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। ग्राम अंता की उक्त आराजी वर्तमान अपीलाधीन निर्णय की ग्राम रातडिया की विवादित आराजी से भिन्न है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से वे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से पाबंद नहीं है वे अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील के साथ ग्राम रातडिया तहसील मांगरोल की जमाबंदी सवंत् 2018 से 21 की फोटो कॉपी प्रमाणित पेश की है जिसमें खाता संख्या 128 की खसरा नं. 501 में अपीलांट का नाम दर्ज है परंतु इस संदर्भ में रेस्पोडेंट कम 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस आपत्ति दर्ज करते हुए कथन किया है कि अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना ही जमाबंदी पेश की है, जो अपील के स्तर पर आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के अभाव में पठनीय नहीं है।	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... अकील संख्या .....

अभिभाषक अपीलान्ट ..... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	अपने कथन के समर्थन में रेस्पोडेंट कम 1 के अधिवक्ता ने न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील/डिकी/45/2002/अलवर लक्ष्मणसिंह बनाम नहनजी वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2002 की प्रति पेश की है, जो प्रस्तुत अपील पर चस्पा होती है। अपीलांट द्वारा ग्राम रातडिया की संवत 2018–21 की जमाबंदी आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील के इस स्तर पर पठनीय नहीं मानी जा सकती। वर्तमान अपीलाधीन निर्णय ग्राम रातडिया की विवादित आराजी के संदर्भ में पारित किया गया है जो प्रतिवादी रज्जोबाई की खातेदारी में दर्ज थी। ग्राम अंता की पुश्तैनी आराजी ग्राम रातडिया की आराजी से भिन्न है। प्रभुलाल के वारिसान द्वारा ग्राम अंता की आराजी में अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वाद दायर करने से व्यथित होने के कारण अपीलांट हुकमचन्द को ग्राम रातडिया की भूमि के संदर्भ में पारित अपीलाधीन निर्णय में व्यथित पक्षकार मानते हुए धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को अपील के इस स्तर पर स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट ग्राम अंता की आराजी के संदर्भ में सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है तदनुसार अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। 13/06/25 (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	